

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

नजरसानी / टी.ए. / 514 / 2005 / गंगानगर

बन्तासिंह पुत्र श्री तेजसिंह जाति जटसिख, निवासी चक 3 एफ.डी.एम.  
तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

...प्रार्थी

बनाम

1. कुशलाराम पुत्र श्री चैनाराम जाति नायक
2. कश्मीरीलाल पुत्र श्री जिन्दाराम जाति कम्बोज  
निवासीगण चक 3 एफ.डी.एम. तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

...अप्रार्थीगण

एकल पीठ

श्री एच.एस.भारद्वाज, सदस्य

उपस्थित-

श्री खडगसिंह, अभिभाषक प्रार्थी  
श्री विजय सोनी, अभिभाषक अप्रार्थी

दिनांक 30.8.11

निर्णय

यह नजरसानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 एकल पीठ के निर्णय दि018-1-2005 के विरुद्ध पेश किया गया है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि विवादित आराजी बाबत तहसीलदार, सूरतगढ के समक्ष धारा 183-बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत विचाराधीन प्रकरण सं.02/04 कुशलाराम बनाम कश्मीरीलाल में पक्षकार बनने हेतु प्रार्थी बन्तासिंह द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 पेश किया गया, जिसे तहसीलदार, सूरतगढ ने अपने आदेश दि020-4-04 से निरस्त कर दिया। इस आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत निगरानी मण्डल की एकल पीठ ने निर्णय दि018-1-85 द्वारा खारिज कर दी। इससे व्यथित होकर प्रार्थी ने यह नजरसानी प्रार्थना पत्र पेश किया है।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस यह निवेदन किया कि विवादित आराजी पर उसका 20-25 वर्ष से कब्जा है। अप्रार्थी सं.1 ने तहसीलदार, सूरतगढ के समक्ष जो प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183-बी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर रखा है, उसमें प्रार्थी आवश्यक पक्षकार है इसलिए उसे आदेश 1 नियम 10जा0दी0 के तहत पक्षकार बनाया जाना चाहिए था क्योंकि यदि उसे बिना सुने कोई निर्णय पारित कर दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। उनके द्वारा इस संबंध में तहसीलदार, सूरतगढ के समक्ष निवेदन करने पर तहसीलदार, सूरतगढ ने उसके प्रार्थना पत्र को दि0 20-4-04 द्वारा खारिज कर दिया। जिसके विरुद्ध प्रार्थी द्वारा धारा 230 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत राजस्व मण्डल की एकल पीठ के समक्ष निगरानी पेश की गई थी जिसे न्यायालय की एकल पीठ ने बिना इन तथ्यों पर गौर किये आदेश दि018-1-05 पारित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है अतः उस त्रुटि को दूर किया जाना आवश्यक है। उन्होंने यह भी बताया कि माननीय न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रस्तुत कर दिये गये थे कि प्रार्थी ने राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ के समक्ष अपील सं.11/02 पेश कर रखी है तथा उसमें राजस्व अपील प्राधिकारी ने उसके पक्ष में स्थगन आदेश जारी कर रखा है किन्तु इसके बावजूद भी माननीय न्यायालय ने जो आदेश पारित किया है, वह उचित नहीं है। अभिभाषक प्रार्थी ने निवेदन किया कि आदेश में विद्यमान इस गंभीर त्रुटि को दूर किया जाना आवश्यक है। लिहाजा प्रार्थना पत्र नजरसानी स्वीकार किया जावे तथा एकल पीठ का निर्णय दि018-1-05 निरस्त किया जाकर प्रार्थी को पक्षकार बनाये जाने की आज्ञा न्यायहित में पारित की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने बहस बताया कि धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत नजरसानी कार्यवाही जा0दी0 के आदेश 47 नियम 1 के तहत की जा सकती है, जिसमें यह स्पष्ट वर्णित किया गया है कि यदि कोई ऐसा महत्वपूर्ण तथ्य या साक्ष्य प्रकाश में आता है, जो उचित प्रयास के बावजूद न्यायार्थी की जानकारी में नहीं था या डिकी जारी करने अथवा आदेश पारित करते समय प्रस्तुत नहीं किया जा सका या कोई गलती अथवा अभिलेख के आमुख पर प्रकट त्रुटि या कोई अन्य पर्याप्त कारण विद्यमान है तो ही नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है। प्रस्तुत मामले में ऐसी कोई त्रुटि न्यायालय की एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दि018-1-05 में दिखाई नहीं देती है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट नहीं किया है कि ऐसे कौनसे तथ्य हैं, जो उसकी जानकारी में नहीं थे अथवा आदेश पारित करते समय पेश नहीं किये जा सके और अब प्रस्तुत किये जा रहे हैं, जिसके आधार पर नजरसानी प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जा सके। चूंकि इस न्यायालय की एकल पीठ ने उसके समक्ष उपलब्ध समस्त

तथ्यों का पूर्ण परीक्षण कर विधिवत निर्णय पारित किया है, अतः एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय में धारा 229 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत संशोधन नहीं किया जा सकता। इस प्रकार विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने नजरसानी प्रार्थना पत्र को खारिज योग्य बताते हुए इसे अपास्त करने का निवेदन किया।

5. हमने उभय पक्ष की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 229 के तहत मण्डल को जा०दी० के आदेश 47 नियम 1 के अधधीन पुनरावलोकन की शक्ति प्रदत्त है। आदेश 47 नियम 1 जा०दी० निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

" Application for review of judgment- (1) Any person considering himself aggrieved-

(a) by a decree or order from which an appeal is allowed, but from which appeal has been preferred,

(b) by a decree or order from which no appeal is allowed or

(c) by a decision on a reference from a Court of Small Causes,


and who, from the discovery of new and important matter or evidence which, after the exercise of due diligence was not within his knowledge or could not be produced by him at the time when the decree was passed or order made, or on account of some mistake or error apparent on the face of the record, or for any other sufficient reason, desires to obtain a review of the decree passed or order made against him, may apply for a review of judgment to the Court which passed the decree or made the order."

6. प्रार्थी के द्वारा दिये प्रार्थना पत्र एवं उनके विद्वान अभिभाषक द्वारा दिये तर्कों के परिप्रेक्ष्य में यदि हम जाब्ता दीवानी में वर्णित प्रावधानों के अधधीन एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दि०18-1-05 का परीक्षण करें तो हमें ज्ञात होता है कि प्रार्थी के नजरसानी प्रार्थना पत्र में जिन तथ्यों का उल्लेख किया है वे लगभग सभी, एकल पीठ के समक्ष प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना पत्र में समाहित हैं। एकल पीठ का निर्णय दि०18-1-05 निगरानी प्रार्थना पत्र में उठाये सभी तथ्यों का विस्तार से विवेचन करता है। प्रार्थी नजरसानी प्रार्थना पत्र में ऐसा एक भी तथ्य बताने में असमर्थ रहा है जो निगरानी प्रार्थना पत्र में वर्णित नहीं है। प्रार्थी यह भी बताने में असफल रहा है कि एकल पीठ के द्वारा पारित निर्णय में ऐसी कौनसी गलती अथवा अभिलेख के आमुख पर प्रकट त्रुटि है, जिसे आदेश 47 नियम 1 जा०दी० के तहत दुरुस्त किया जावे। यदि अप्रार्थी कुंशलाराम (विचारण न्यायालय में प्रार्थी) विवादित आराजी पर प्रार्थी बंतासिंह का कब्जा नहीं होने के कारण उसे बेदखल करने का अनुतोष नहीं चाहता है तो इसके लिये बाध्य क्यों किया जाये ? इस प्रकार 1989 RRD pg. 734, 1984 RRD pg. 77 एवं 2006 RRD pg. 705 पर माननीय न्यायालयों द्वारा दिये निर्णयानुसार वादी की इच्छा के विपरीत किसी को पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के द्वारा आदेश 1 नियम 10 जा० दी० के

अन्तर्गत पक्षकार बनने के लिये प्रस्तुत निगरानी को अपने निर्णय 1995 RRD pg. 577 पर असंधारणीय माना है। माननीय उच्च न्यायालय की खण्ड पीठ ने 2008 RRD pg. 233 पर यह अवधारणा दी है कि पक्षकार बनाने में वादी की ही इच्छा का ख्याल रखा जाता है। अन्य व्यक्ति अपने आपको वादी की इच्छा के विपरीत सह-प्रतिवादी नहीं थोप सकता। विचारण न्यायालय के द्वारा आदेश 1 नियम 10 जा0दी0 के तहत इस अवधारणा पर दिये आदेश की एकल पीठ के द्वारा पारित संदर्भित आदेश से पुष्टि किया जाना किसी भी दृष्टि से त्रुटिपरक नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने RRT 2005 (1) pg. 545 पर न्यायालय द्वारा किसी विचारणीय बिन्दु पर लिये निर्णय विशेष को नजरसानी के योग्य नहीं माना है। 1994 RRD pg. 335 पर यह अपेक्षा की गई है कि पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग न्यूनतम (Rarest of the rare) मामलों में किया जाना चाहिये। माननीय न्यायालय का 1992 RRD pg. 388 पर यह भी अभिमत है कि पुनरावलोकन के द्वारा दूर की जाने वाली त्रुटि इतनी गंभीर होनी चाहिये जिसे न्यायालय अभिलेख पर रखा जाना उचित नहीं समझे। प्रार्थी ने अपने नजरसानी प्रार्थना पत्र में ऐसी किसी गलती अथवा अभिलेख के आमुख पर प्रकट त्रुटि की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट नहीं किया है। प्रार्थी यह बताने में भी असमर्थ रहा है कि वह ऐसा कौन सा तथ्य अथवा साक्ष्य जयें नजरसानी प्रार्थना पत्र प्रकट कर रहा है, जो उसने निगरानी प्रार्थना पत्र पर न्यायालय एकल पीठ के द्वारा निर्णय पारित करते समय प्रकट नहीं किया हो।

7. चूंकि प्रस्तुत प्रकरण में ऐसी कोई त्रुटि एकल पीठ के द्वारा पारित निर्णय दि018-1-05 में प्रकटतः दिखाई नहीं देती है एवं प्रार्थी नजरसानी प्रार्थना पत्र के लिए प्रावधानित तथ्य बताने में असमर्थ रहा है। अतः आदेश 47 नियम 1 जा0दी0 के अन्तर्गत नजरसानी प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने के फलस्वरूप खारिज किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
2008/11  
(एच. एस. भारद्वाज)  
सदस्य